न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 07/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00016

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

लुम्बाराम पुत्र मनाराम, जाति कलाल, निवासी देसूरी, जिला पाली

1. मांगीलाल पुत्र दुर्गालाल कलाल, निवासी देसूरी
2. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच देसूरी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :— प्रार्थी की ओर से मांगीलाल प्रजापत उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से पी.एम जोशी उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 15/3/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम के आदेश दिनांक 06.12.1975 जिसके अनुसार पंचायत देसूरी द्वारा 6.12.1975 के जारी भूमि विक्रय विलेख संख्या 7778 जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया व ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया एंव बहस उभय पक्ष सूनी गई।

वकील प्रार्थी ने निगरानी मे उल्लेखित तथ्यों का हवाला देते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 6.12.1995 के आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया है जो विधि विरूद्ध जारी किया जाने से उसे निरस्त फरमाया जावे। विक्रय विलेख जारी किया त्त समय दिनांक 6.12.1975 को जैर निगरानी आराजी आबादी भूमि नही होकर राजस्व भूमि थी जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 390 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 2398 मे जारी किया गया है इस कारण पट्टा निरस्त योग्य है पट्टे में अंकित शर्तो की पालना भी अवंटी द्वारा नही की गई है प्रार्थी द्वारा उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही कराया गया है जैर निगरानी विक्रय विलेख नियमानुसार बिना प्रक्रिया के पालना के जारी किया है जो निरस्त योग्य है। मांगीलाल को निशुल्क भुखण्ड आवंटन किया गया लेकिन मांगीलाल निशुल्क भुखण्ड आवंटन की पात्रता नही रखता है ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को अनैतिक लाभ पहुचाने की नियत से पट्टा जारी किया गया है प्रार्थी का भी उक्त भूमि पर कब्जा है उसके कब्जे में दखलदांजी के कारण वह व्यक्ति व्यथित पक्षकार है पूर्व में इस पट्टे की प्रार्थी को जानकारी नही थी शेर खां के प्रकरण में न्यायालय मे सबूत के तौर पर पेश करने पर इसकी जानकारी हुई तो यह निगरानी पेश की जा रही है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने वक्त बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आवंटी मांगीलाल का पिता सा.नि. विभाग में नौकरी करता था तथा उसका पुत्र मांगीलाल नाबालिग था जो पेशे से काश्तकार नही था। न ही गरीब था न ही भूमिहीन था वह निशुल्क पट्टा जारी करने हेतु पात्र नही था। फिर भी जैर निगरानी पट्टा मांगीलाल के पक्ष मे जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। तथा मांगीलाल को मजदुर दर्शाते हुए पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी वक्त आवंटन मजदुर ही था जिस राजस्व भुमि सख्सरा नम्बर पुराना 390 नये नम्बर 2398 में जारी किया उक्त भूमि आबादी थी। जिसे जरिये तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक 3659 दिनांक 3.12.1975 के आबादी की गई त[illegible] 26.02.76 को किया गया था तथा पट्टा जारी दिनांक 6.12.75 को किया ग[illegible] पंचायत द्वारा प्रक्रिया का पालन किया गया भूमि आबादी घोषित होने [illegible] 54 व्यक्तियों को निशुल्क पट्टा जारी किया गया है। जो प्लान [illegible] निगरानी पट्टा प्लान [illegible] में जारी किया गया जो आवासीय भुखण्ड विक्रय रजिस्टर [illegible]ष्ट संख्या 4 क्रमांक 5 [illegible]र्थी का नाम दर्ज है। अप्रार्थी के पिता दुर्गालाल पट्टा जारी किया उस वक्त नौकरी में नही थे तथा प्रार्थी मजदुरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:21:33 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर पाली

कर कमाकर खाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया जिसके यथावत रखा जावें।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित पत्रावली में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विद्यमान है मिसल कायम की गई है। एंव सरपंच महोदय द्वारा आदेश दिया गया है। मूल पट्टे की प्रति भी सलंग्न है प्रस्ताव रजिस्टर जीर्णशीर्ण व फटी हुई अवस्था में होने से इसका अवलोकन संभव नही है। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया अपनाई जान स्पष्ट है हो सकता है प्रक्रिया में कमी हो लेकिन प्रक्रियात्मक त्रुटी के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना विधि सम्मत नही होने से जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया इस निगरानी के संदर्भ में विचारणीय बिन्दु है–

1. पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है या नही।
2. पट्टा राजस्व भूमि में जारी किया गया है अथवा नही।

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा 30फिट गुणा 45 फिट का दिया गया है जो 150 वर्गगज है तथा 150 वर्गगज का पट्टा जारी करना नियमानुसार अनुमत है। ऐसा किसी प्रकार का तथ्य जो यह प्रमाणित करता है कि नियमों का पालन नही किया गया है। साबित करने में निगरानी कर्ता असफल रहा है। निगरानीकर्ता का कथन है कि उक्त पट्टा पूर्व खसरा नम्बर 390 वर्तमान खसरा नम्बर2398 में किया गया है। जो राजकीय भुमि है। इसे प्रमाणित करने हेतु ग्राम पंचायत मौका रिपोर्ट 14.09.2015 प्रस्तुत की जिसमें यह माना गया है कि उक्त पट्टा खसरा नम्बर 2398 में बनाया गया है लेकिन उक्त रिपोर्ट पर पटवारी भू.अ. निरीक्षक अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। ग्राम पंचायत भूमि संबंधी नाप चौक करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखती है, तथा इसलिए उक्त रिपोर्ट अनुसार निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली अवलोकन से पाया कि उक्त भूमी तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक 3659 दिनांक 3.12.75 के 1 बीघा आबादी में की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 1179 दिनांक 26. 02.76 स्वीकृत किया हुआ है। अप्रार्थी के पिता वक्त निशुल्क पट्टा आवंटन सरकारी कर्मचारी दिनांक 6.12.75 को नही था। 30.6.1975 तक ही बतौर सरकारी कर्मचारी रहा। मांगीलाल वक्त आवंटन मजदुर नही था। यह भी निगरानीकर्ता सिद्व नही कर पाये है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। एवं प्रार्थी मांगीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7778 दिनांक 6.12.75 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:21:33 IST
Reason: SelfAttested